[2018] 1 एस. सी. आर 848

एम/एस। भारतीय किसान फर्टिलिज़र को-ऑपरेटिव

सीमित

वी.

मेसर्स भद्रा उत्पाद

(2018 की सिविल अपील संख्या 824)

23 जनवरी, 2018

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 2 (ग), 31 (6), 32

और 34-अंतरिम मध्यस्थ पुरस्कार-चाहे कोई पुरस्कार दिया गया हो एक मध्यस्थ, जो सीमा के मुद्दे को तय करता है, को कहा जा सकता है

एक अंतरिम पुरस्कार हो और क्या इस तरह के अंतरिम पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है अधिनियम की धारा 34-आयोजितः जहाँ तक पहला सवाल है

चिंतित, हाँ, एस की भाषा। 31 (6) यह प्रकृति में व्यापक है-उक्त उप-धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार देने का अधिकार क्षेत्र मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अच्छी समझ पर छोड़ दिया गया है और यह कि यह निम्न के संबंध में "किसी भी मामले" तक फैला हुआ है -

जिसे वह एक अंतिम मध्यस्थ निर्णय दे सकता है-अभिव्यक्ति "मामला" प्रकृति में व्यापक है और उन मुद्दों को शामिल करता है जिन पर पक्ष विवाद में हैं-इसलिए, यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद का कोई भी बिंदु

जिन पक्षों को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा उत्तर दिया जाना है, वे अंतरिम मध्यस्थता निर्णय का विषय हो सकते हैं-जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, हां, ऐसा "अंतरिम निर्णय" एस के अर्थ के भीतर है। 2 (1) ((ग) अधिनियम और इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है

अतः अभिव्यक्ति "मध्यस्थता पुरस्कार" को यू/में चुनौती दी जा सकती है। अधिनियम की धारा 34-अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996

एस. 47.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 16- अपीलार्थी

डिफॉमर की आपूर्ति के लिए एक निविदा जांच जारी की-उत्तरदाता

सफलतापूर्वक अपनी बोली प्रस्तुत की, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी ने डिफॉमर की आपूर्ति की-प्रत्यर्थी ने भुगतान की मांग की हालांकि,

अपीलार्थी ने यह रुख अपनाया कि कुछ भी देय और देय नहीं था

प्रत्यर्थी-चूंकि, पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, इसलिए प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता का आह्वान किया-सीमा का मुद्दा पहले मध्यस्थ द्वारा लिया गया था और एक पुरस्कार के माध्यम से उक्त मुद्दे का निर्णय प्रत्यर्थी के पक्ष में किया गया था-दावेदार ने कहा कि उनका दावा समय नहीं बन गया था

वर्जित-क्या सीमा के बिंदु पर कोई निर्णय अधिकार क्षेत्र में जाएगा और इसलिए, एस द्वारा कवर किया जाएगा। 16 अधिनियम, जिस मामले में अन्य सभी मुद्दों को पहले तय किया जाना है, और यह केवल उसके बाद है

ऐसे मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है कि इस तरह के पुरस्कार को यू/एस द्वारा चुनौती दी जा सकती है। 34 अधिनियम-आयोजितः तत्काल मामले में, मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार एक अंतरिम पुरस्कार है, जिसे एक मध्यस्थ पुरस्कार होने के कारण अलग से और स्वतंत्र रूप से चुनौती दी जा सकती है। अधिनियम की धारा 34-ऐसा अधिनिर्णय, जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता से संबंधित नहीं है। एस. 16, एस के ड्रिल का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। 16 (5) और अधिनियम के (6)-इसके आलोक में, संसद धाराओं में संशोधन करने पर विचार कर सकती है। 34 अधिनियम की धारा ताकि सभी अंतरिम पुरस्कारों को अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार के साथ समेकित किया जा सके, ताकि कोई यू/एस को चुनौती दे सके। 34 अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार के वितरण के बाद किया जा सकता है-पीसमील चैलेंज

टुकड़ों में दिए जाने वाले पुरस्कारों की तरह अनावश्यक देरी होती है और अतिरिक्त

खर्च होता है।

शब्द और वाक्यांश "क्षेत्राधिकार"-एस में उपयोग किए जाने वाले शब्द "क्षेत्राधिकार" का अर्थ। 16 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-चर्चा की गई।

सिद्धांत/सिद्धांत-कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ सिद्धांत-चर्चा-अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996-एस. एस. 30 , 31 – UNCITRAL मॉडल कानून-कला। 16 .

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः क्या सीमा के मुद्दे पर दिए गए पुरस्कार को पहले अंतरिम पुरस्कार कहा जा सकता है? 1.1 जैसा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 (सी) और धारा 31 (6) से देखा जा सकता है, सिवाय इसके कि

मध्यस्थता पुरस्कार में एक अंतरिम पुरस्कार शामिल है, अधिनियम मौन है और यह परिभाषित नहीं करता है कि अंतरिम पुरस्कार क्या है। धारा 31 (6) जो अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कारों के दायरे को निरूपित करती है और कहती है कि

मध्यस्थता न्यायाधिकरण किसी भी मामले में अंतरिम मध्यस्थता निर्णय दे सकता है।

वह मामला जिसके संबंध में वह अंतिम मध्यस्थता निर्णय दे सकता है।

[पैरा 8] [856-एफ-जी]

1.2 धारा 31 (6) की भाषा प्रकृति में व्यापक है। उक्त उप-धारा के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार देने का अधिकार क्षेत्र मध्यस्थता न्यायाधिकरण की समझदारी पर छोड़ दिया गया है, और यह "किसी भी मामले" तक फैला हुआ है जिसके संबंध में वह अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार दे सकता है। द.

अभिव्यक्ति "पदार्थ" प्रकृति में व्यापक है, और मुद्दों को शामिल करता है जिन पर दोनों पक्षों में विवाद है। यह स्पष्ट है कि किसी भी

पक्षों के बीच विवाद का बिंदु जिसका उत्तर [2018] 1 एस. सी. आर. द्वारा दिया जाना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार का विषय हो सकता है। हालांकि, एक उपयुक्त मामले में, उस मामले के तथ्यों पर एक से अधिक पुरस्कार जारी करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, मामले से टुकड़ों में निपटते हुए, जो बात ध्यान में रखी जानी चाहिए वह यह है कि समग्र रूप से विवाद के समाधान में देरी होगी और पक्षों को अतिरिक्त खर्च में डाल दिया जाएगा। इसलिए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अंतरिम निर्णय देने या समग्र रूप से मामले की कार्यवाही करने और एक अंतिम निर्णय देने में कोई वास्तविक लाभ है, जिसमें देरी और अतिरिक्त खर्च से बचने को ध्यान में रखा जाए। अंत में, सभी विवादों के समाधान के लिए एक उचित साधन मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दिमाग में सबसे ऊपर होना चाहिए। [पैरा 9] [856-जी-एच; 857-ए-सी]

1.3 अधिनियम की योजना को पूरा करने के लिए, धारा 32 (1) भी सामग्री है। इस धारा में आगे कहा गया है कि मध्यस्थ

1.4 वैधानिक प्रावधानों और उद्धृत मामले के कानूनों के आलोक में परीक्षण किया गया, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ ने पक्षों के बीच एक मामले का निपटारा किया है, यानी अंत में सीमा का मुद्दा, तत्काल मामले में पुरस्कार एक "अंतरिम पुरस्कार" है। अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) का अर्थ और "मध्यस्थता पुरस्कार" अभिव्यक्ति के भीतर सम्मिलित किया जा सकता है, इसलिए

अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी गई। [पैरा 16] [860-जी-एच; 861 ए]

सतवंत सिंह सोढ़ी बनाम। पंजाब राज्य (1999) 3 एससीसी 487: [1999] 2 एस. सी. आर. 230; मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (2006) 11 एस. सी. सी. 181: [2006] 2 पूरक। एससीआर 409-पर निर्भर।

एक्समार बीवी वी। राष्ट्रीय ईरानी टैंकर कं. [1992] 1 लॉयड का प्रतिनिधि। 169- संदर्भित किया गया।

क्या किसी सीमा के बिंदु पर निर्णय अधिकार क्षेत्र में जाएगा और इसलिए, अधिनियम की धारा 16 द्वारा कवर किया जाएगा?

2.1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 एम/एस।

भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड। वी. मेसर्स भद्रा उत्पाद

यह निर्धारित करता है कि मध्यस्थता कानून में कोम्पेटेंज़ कोम्पेटेंज़ सिद्धांत क्या कहा गया है। कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता पर निर्णय दे सकता है। एक समय में, कानून यह था कि मध्यस्थ, अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, अस्तित्व पर शासन नहीं कर सकता था या

अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड की वैधता। हालाँकि, इसने कोम्पेटेंज़ सिद्धांत को रास्ता दिया जिसे UNCITRAL मॉडल लॉ द्वारा अपनाया गया था। [पैरा 17] [861-सी]

2.2 यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 16 (1) से (4) UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 16 पर आधारित हैं। द.

कोम्पेटेंज़ सिद्धांत मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में आपत्तियों पर निर्णय के संकीर्ण अर्थ में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। धारा 16 (1) की भाषा में जिस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है वह यह है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता पर निर्णय दे सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह इस बात को संदर्भित करता है कि क्या मध्यस्थता न्यायाधिकरण विवाद के पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच शुरू कर सकता है। [पैरा 19] [862-ई]

2.3 अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित "अधिकार क्षेत्र" में तीन चीजों का संदर्भ हैः (1) क्या वहाँ है

एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व; (2) क्या मध्यस्थता न्यायाधिकरण का उचित रूप से गठन किया गया है; और (3) मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामले मध्यस्थता समझौते के अनुसार होने चाहिए। [पैरा 20] [863-जी-एच]

2.4 यह स्पष्ट है कि तत्काल मामले में पारित पुरस्कार एक अंतरिम पुरस्कार है, जिसे एक मध्यस्थ पुरस्कार होने के कारण अधिनियम की धारा 34 के तहत अलग से और स्वतंत्र रूप से चुनौती दी जा सकती है। इस तरह

एक पुरस्कार, जो धारा 16 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है, के अभ्यास का पालन करने की आवश्यकता नहीं है

अधिनियम की धारा 16 (5) और (6)। संसद अधिनियम की धारा 34 में संशोधन करने पर विचार कर सकती है ताकि सभी अंतरिम कानूनों को समेकित किया जा सके।

अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार के साथ पुरस्कार, ताकि अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार के वितरण के बाद धारा 34 के तहत एक चुनौती दी जा सके। टुकड़ों-टुकड़ों में दिए जाने वाले पुरस्कार जैसी टुकड़ों-टुकड़ों में मिलने वाली चुनौतियों के कारण अनावश्यक देरी होती है और अतिरिक्त खर्च होता है। [पैरा 29] [871-एफ-एच]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। लिमिटेड वी. सीमेंस

एटकिंजेसेलशाफ्ट (2007) 4 एस. सी. सी. 451; इट्टाविरा मथाई

वी. वर्की वर्की [1964] 1 एस. सी. आर. 495 पर निर्भर था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आधिकारिक न्यासी v. सचिंद्र नाथ चटर्जी (1969) 3 एससीआर 92; पांडुरंग धोनी चौगुले बनाम। मारुति हरि

जाधव [1966] 1 एस. सी. आर. 102; एनिस्मिनिक बनाम। विदेशी

क्षतिपूर्ति आयोग (1969) 2 अधिनियम 147; एम एल सेठी

वी. आर. पी. कपूर (1972) 2 एससीसी 427: [1973] 1 एससीआर 697; हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू (1974) 3

एससीसी 415: [1974] 1 एससीआर 548; आईटीडब्ल्यू सिग्नोड इंडिया लिमिटेड।

वी. सीसीई (2004) 3 एससीसी 48: [2003] 5 पूरक। एससीआर 751;

फोरशोर कॉप। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। प्रवीण डी.

देसाई (2015) 6 एससीसी 412: [2015] 5 एससीआर 1075 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

संदर्भित किया गया है

[1992] 1 लॉयड के प्रतिनिधि। 169

पैरा

[1999] 2 एससीआर 230

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2006] 2 पूरक। एससीआर 409

उस पर भरोसा करें

पैराः

[1969] 3 एससीआर 92

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1964] 1 एससीआर 495

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

(2007) 4 एस. सी. सी. 451

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[1966] 1 एससीआर 102

संदर्भित किया गया है

पैरा

(1969) 2 ए. सी. 147

संदर्भित किया गया है

पैराः

[1973] 1 एससीआर 697

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1974] 1 एससीआर 548

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2003] 5 पूरक। एससीआर 751

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2015] 5 एससीआर 1075

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 82

2018 .

उच्च न्यायालय के 30.06.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के ए. आर. बी. ए. सं. 31 में उड़ीसा, कटक से।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, बालाजी श्रीनिवासन, आलोक कुमार,

अग्निहोत्री, सुश्री सौम्या यादव, सुश्री आकृति शर्मा, सिद्धांत ट्रिप अवि पांडे, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ऐश्वर्या सिन्हा, सुश्री मोहिनी पी.

सुश्री उपासना नाथ, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

एम/एस। भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड। वी. मेसर्स भद्रा उत्पाद

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. एक दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या कोई पुरस्कार दिया गया है।

एक मध्यस्थ द्वारा, जो सीमा के मुद्दे को तय करता है, एक अंतरिम पुरस्कार कहा जा सकता है, और क्या इस तरह के अंतरिम पुरस्कार को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत अलग रखा जा सकता है। वर्तमान अपील के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं।

3. हमारे समक्ष अपीलार्थी ने डिफॉमर की आपूर्ति के लिए प्रतिवादी सहित 19 पक्षों को एक निविदा जांच जारी की। उत्तरदाता अपनी बोली प्रस्तुत की, जिसके अनुसार 2 नवंबर, 2006 को प्रत्यर्थी को 800 मीट्रिक टन की आपूर्ति के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया था।

पी2 ओ 5 के 3,08,880 मीट्रिक टन के उत्पादन के लिए डिफॉमर का उपयोग किया जाएगा। 5 * 11 अप्रैल, 2007 तक, प्रतिवादी ने 800 मीट्रिक टन डिफॉमर की आपूर्ति की थी, हालांकि, वे 1 नवंबर, 2007 के अंत तक लक्षित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सके, जो आपूर्ति अवधि की वैधता थी। काफी देरी के बाद, 6 जून, 2011 को, प्रत्यर्थी ने 27 सितंबर, 2012 को रु. 6,35,74,245/- के भुगतान की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया। अपीलार्थी ने स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी को कुछ भी देय और देय नहीं था। चूंकि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए थे, इसलिए 1 अक्टूबर, 2014 को प्रतिवादी ने मध्यस्थता का आह्वान किया और 25 जनवरी, 2015 को उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया। 3 मार्च, 2015 को मुद्दे तैयार किए गए थे। 23 जुलाई, 2015 को, विद्वान मध्यस्थ ने पहले सीमा के मुद्दे को उठाना उचित समझा, क्योंकि वकील इसके लिए उपस्थित हुआ। दोनों पक्षों ने कहा कि इस मुद्दे का फैसला केवल दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। इस मुद्दे को तब दावेदार के पक्ष में यह कहते हुए तय किया गया था कि उनके दावे समय से बाधित नहीं हुए थे। अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर एक याचिका में उपरोक्त पुरस्कार को 'प्रथम आंशिक पुरस्कार' के रूप में प्रस्तुत करते हुए चुनौती दी गई थी। 8 अक्टूबर, 2015 को जगतसिंहपुर के जिला न्यायाधीश ने धारा 34 याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उपरोक्त पुरस्कार को अंतरिम पुरस्कार नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 34 के तहत आगे बढ़ने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उड़ीसा के उच्च न्यायालय में अपील को 30 जून, 2017 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें विद्वान जिला न्यायाधीश के तर्क को दोहराया गया था।

4. अपीलार्थी की ओर से पेश होते हुए, विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने हमारे सामने तर्क दिया है कि [2018] 1 एस. सी. आर. को दिया गया निर्णय।

23 जुलाई, 2015 अधिनियम के तहत एक अंतरिम पुरस्कार है और इसलिए, अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती देने के लिए उत्तरदायी होगा। उन्होंने हमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया और कई निर्णयों के संदर्भ में अपने रुख को मजबूत किया, जिसमें विशेष रूप से निर्णय भी शामिल है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। लिमिटेड वी. सीमेंस एटकिंजेसेलशाफ्ट, (2007) 4 एससीसी 451। उन्होंने हमें एक अंतरिम पुरस्कार के गठन पर विभिन्न निर्णयों का भी उल्लेख किया और तर्क दिया कि, उनके अनुसार, पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक होने के कारण, सीमा का बिंदु अंततः उपरोक्त पुरस्कार द्वारा तय किया गया था और,

इसलिए, चुनौती के लिए तैयार रहें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा ने भी अधिनियम की विभिन्न धाराओं, विशेष रूप से धारा 16 और 37 पर भरोसा व्यक्त किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, सीमा के बिंदु पर एक निर्णय "अधिकार क्षेत्र" पर एक निर्णय है और उस पर कोई भी निष्कर्ष मामले की जड़ तक जाता है। यह मामला होने के कारण, धारा 16 की कवायद का पालन किया जाना चाहिए, और चूंकि विद्वत मध्यस्थ द्वारा सीमा की याचिका को खारिज कर दिया गया है, इसलिए मध्यस्थ कार्यवाही को आगे जारी रखना होगा और अन्य सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के बाद ही चुनौती को स्थगित करना होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, धारा 37 की योजना, विशेष रूप से धारा 37 (2) (ए), यह भी स्पष्ट करती है कि अपील केवल धारा 16 के तहत एक आदेश से होती है।

याचिका को स्वीकार करना लेकिन अस्वीकार नहीं करना। साथ ही, विद्वानों के अनुसार

वरिष्ठ अधिवक्ता, वर्तमान पुरस्कार को एक अंतरिम पुरस्कार नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह केवल अधिनियम की धारा 16 के तहत पारित एक आदेश है। वह भी।

उन निर्णयों पर भारी जो यह मानते थे कि सीमा के एक बिंदु पर निर्णय अधिकार क्षेत्र में जाता है जिस मामले में अधिनियम की धारा 16 आकर्षित होगी।

6. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह सुनने के बाद, यह महत्वपूर्ण है

सबसे पहले अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना, जो इस प्रकार हैं:

" 2. परिभाषाएँ। (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

XXX XXX XXX

16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र। —

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड भी शामिल है।

वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय लेना और उस उद्देश्य के लिए, (क) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे समझौते की अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा।

अनुबंध; और (ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा।

(2) एक याचिका कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के बयान को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा; हालाँकि, एक पक्ष को केवल इस कारण से ऐसी याचिका उठाने से रोका नहीं जाएगा कि उसने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है।

(3) एक याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे को पार कर रहा है, जैसे ही मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कथित रूप से अपने अधिकार के दायरे से बाहर का मामला उठाया जाता है, उठाया जाएगा।

(4) माध्यस्थम न्यायाधिकरण, उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी मामले में, बाद की याचिका को स्वीकार कर सकता है यदि वह देरी को उचित समझता है।

(5) मध्यस्थता न्यायाधिकरण उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट याचिका पर निर्णय लेगा और जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण याचिका को खारिज करने का निर्णय लेता है, वहां मध्यस्थता जारी रखेगा।

कार्यवाही करें और एक मध्यस्थ पुरस्कार दें।

धारा 34 के साथ। XXX XXX XXX

31. मध्यस्थता पुरस्कार का प्रपत्र और विषय-वस्तु। (6) मध्यस्थता न्यायाधिकरण, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान किसी भी समय, किसी भी मामले पर अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार दे सकता है जिसके संबंध में वह अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार दे सकता है।

XXX XXX XXX 32. कार्यवाही की समाप्ति। (1) माध्यस्थम कार्यवाहियों को अंतिम माध्यस्थम निर्णय द्वारा या उप-धारा (2) के तहत माध्यस्थम न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा समाप्त किया जाएगा।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XXX XXX

XXX

37. अपील योग्य आदेश। (1) से एक अपील होगी

पारित किए गए न्यायालय के मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय को दिए गए आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) के बाद

आदेश, अर्थात्:

(क) धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना;

(ख) धारा 9 के तहत कोई उपाय देना या देने से इनकार करना;

(ग) के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना

धारा 34.

(2) मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील भी की जाएगी।

न्यायाधिकरण

(क) उप-धारा (2) या उप-धारा में निर्दिष्ट याचिका को स्वीकार करना।

(3) धारा 16 की; या

(ख) धारा के तहत अंतरिम उपाय देना या देने से इनकार करना।

17 .

(3) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा या नहीं करेगा।

उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को समाप्त कर दें।

7. मुद्दा एक संकीर्ण मुद्दा है: क्या सीमा के मुद्दे पर एक पुरस्कार को पहले एक अंतरिम पुरस्कार कहा जा सकता है और दूसरा, क्या सीमा के बिंदु पर निर्णय अधिकार क्षेत्र में जाएगा और इसलिए, अधिनियम की धारा 16 के तहत आता है।

8. जैसा कि धारा 2 (सी) और धारा 31 (6) से देखा जा सकता है, यह कहने के अलावा कि एक मध्यस्थता पुरस्कार में एक अंतरिम पुरस्कार शामिल है, अधिनियम है -

चुप रहता है और यह परिभाषित नहीं करता है कि अंतरिम पुरस्कार क्या है। इसलिए, हमारे पास धारा 31 (6) बची है जो अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कारों के दायरे को रेखांकित करती है और कहती है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण किसी भी मामले पर अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार दे सकता है जिसके संबंध में वह अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार दे सकता है।

9. धारा 31 (6) की भाषा प्रकृति में व्यापक है। उक्त उप-धारा के पठन से यह स्पष्ट होता है कि

एक अंतरिम मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अच्छी समझ पर छोड़ दिया जाता है, और यह कि यह "किसी भी मामले" तक फैला हुआ है जिसके संबंध में वह कर सकता है एक अंतिम मध्यस्थ पुरस्कार दें। अभिव्यक्ति "पदार्थ" प्रकृति में व्यापक है, और उन मुद्दों को समाहित करती है जिन पर पक्ष विवाद में हैं। यह स्पष्ट है, एम/एस।

भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड। वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उस मामले के तथ्यों पर। हालांकि, मामले को टुकड़ों में निपटाने के लिए, जो बात ध्यान में रखी जानी चाहिए वह यह है कि समग्र रूप से विवाद के समाधान में देरी होगी और पक्षों को अतिरिक्त खर्च में डाल दिया जाएगा। अतः मध्यस्थता न्यायाधिकरण को विचार करना चाहिए कि क्या अंतरिम पुरस्कार देने या समग्र रूप से मामले को आगे बढ़ाने और देरी और अतिरिक्त खर्च से बचने को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम पुरस्कार देने में कोई वास्तविक लाभ है। अंततः, सभी विवादों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष साधन मध्यस्थता न्यायाधिकरण के दिमाग में सबसे ऊपर होना चाहिए।

10. अधिनियम की योजना को पूरा करने के लिए, धारा 32 (1) भी सामग्री है। इस खंड में आगे कहा गया है कि मध्यस्थता कार्यवाही को केवल अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार द्वारा समाप्त किया जाएगा, एक अंतरिम पुरस्कार के विपरीत, इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि अंतिम पुरस्कार से पहले एक या अधिक अंतरिम पुरस्कार हो सकते हैं, जो निर्णायक रूप से पक्षों के बीच कुछ मुद्दों का निर्धारण करते हैं, जो अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार में समाप्त होता है जो अंततः पक्षों के बीच सभी शेष मुद्दों का निर्णय करता है।

11. अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996, इस बात पर कुछ प्रकाश डालता है कि जिसे अंग्रेजी कानून के तहत एक अंतरिम पुरस्कार माना जाता है। इसकी धारा 47 कहते हैं:

" 47 विभिन्न मुद्दों पर पुरस्कार, और ग।

निर्णय लें।

(3) यदि न्यायाधिकरण ऐसा करता है, तो वह अपने निर्णय में मुद्दे, या दावे या दावे के हिस्से को निर्दिष्ट करेगा, जो निर्णय का विषय है।

12. इस धारा को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक से अधिक निर्णय अंततः मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष किसी विशेष मुद्दे का निर्धारण करते हैं। निर्धारित किए जाने वाले मामलों के विभिन्न पहलुओं पर किया जा सकता है।

पूरे दावे को प्रभावित करने वाला प्रारंभिक मुद्दा स्पष्ट रूप से अंग्रेजी अधिनियम के तहत एक अंतरिम पुरस्कार का विषय होगा। अंग्रेजी अधिनियम

सलाह के रूप में "अंतरिम" या "आंशिक" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि अंग्रेजी अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत आने वाला निर्णय उस विशेष मुद्दे का अंतिम निर्धारण होगा जिसका निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने किया है।

13. एक्समार बीवी बनाम राष्ट्रीय ईरानी टैंकर कंपनी में [1992] 1

लॉयड के प्रतिनिधि। 169 , एक अंतरिम अंतिम पुरस्कार दिया गया था, जिसमें यह निर्णय शामिल था कि वह प्रतिवादी के जवाबी दावों के निर्धारण तक दावेदार के पक्ष में ऐसा कोई पुरस्कार जारी नहीं करेगा। इस निर्णय के लिए विस्तृत कारण दिए गए थे। इसलिए न्यायाधीश ने उपरोक्त पुरस्कार को अंततः किसी विशेष मुद्दे का निर्णय लेने वाले पुरस्कार के रूप में वर्णित किया।

पक्षकारों के बीच, और यह निष्कर्ष निकाला कि इसके परिणामस्वरूप, उनके पास न्यायाधिकरण के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र था।

14. सतवंत सिंह सोधी बनाम। पंजाब राज्य (1999) 3 एस. सी. सी. 487 491 और 493 पर, एक विशेष मद के संबंध में एक अंतरिम पुरस्कार

उस मामले में मध्यस्थ द्वारा बनाया गया था। न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या इस तरह के निर्णय को अलग से न्यायालय का नियम बनाया जा सकता है या बाद में सभी दावों पर अंतिम निर्णय द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस न्यायालय ने कहाः

" 6. यह सवाल कि क्या अंतरिम पुरस्कार उस हद तक अंतिम है या अंतिम पुरस्कार दिए जाने तक प्रभावी है, पुरस्कार के रूप पर निर्भर करेगा। यदि अंतरिम पुरस्कार का उद्देश्य है

उस पर

इसका प्रभाव केवल तब तक रहता है जब तक अंतिम पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसके पास अंतरिम पुरस्कार का बल होगा और अंतिम पुरस्कार दिए जाने के बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि, दूसरी ओर, अंतरिम पुरस्कार का उद्देश्य अंततः पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करना है, तो इसके पास एक पूर्ण पुरस्कार का बल होगा और अंतिम पुरस्कार दिए जाने के बाद भी इसका प्रभाव होगा। दिनांकित 26-11-1992 पुरस्कार की शर्तें यह संकेत नहीं देती हैं कि यह अंतरिम प्रकृति का है।

मामले के तथ्यों पर, अदालत ने आगे कहाः

" 11. यह न्यायालय रिखब्दास बनाम। बल्लभदास [ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 551: 1962 सप्लीमेंट (1) एस. सी. आर. 475] ने अभिनिर्धारित किया कि एक बार जब कोई पुरस्कार दिया जाता है और मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो मध्यस्थ कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है।

जुग्गीलाल कमलापत बनाम। जनरल फाइबर डीलर्स लिमिटेड [ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1123: 1962 सपं. (2) एस. सी. आर. 101] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक भारतीय किसान फर्टीलाइज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड।

वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

घोषित लेकिन फिर भी पूर्ण और अंतिम हो गया था, इसलिए, यह बनाया जाना चाहिए कि मद 1 के संबंध में अदालत का नियम हमें सही प्रतीत होता है क्योंकि मद 1 के संबंध में दावे पर मध्यस्थ द्वारा फिर से निर्णय नहीं लिया जा सकता था और इसे मध्यस्थ द्वारा 28-1-1994 पर दिए गए दूसरे निर्णय से उचित रूप से बाहर रखा गया है। इस प्रकार इस पहलू पर निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी हमें सही प्रतीत होता है। इसलिए, निचली अदालत ने आइटम 1 को छोड़कर 28-1-1994 दिनांकित पुरस्कार को अदालत का नियम बनाने का आदेश दिया है और जिसके संबंध में 26-11-1992 दिनांकित पुरस्कार को अदालत का नियम बनाने का आदेश दिया गया था।

हम स्पष्ट करते हैं कि पहला पुरस्कार जो किया गया था जो अंत में पक्षकारों के बीच वस्तु संख्या के संबंध में मुकदमा निर्धारित करता है। 1 दावे का, एक अंतरिम पुरस्कार होना चाहिए क्योंकि यह अंत में पक्षों के दावे को निर्धारित करता है और इसलिए, सभी लाभों पर फिर से निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

15. मैकडर्मोट इंटरनेशनल इंक. बनाम। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी।

2006) 11 एस. सी. सी. 181 पृष्ठ 211-212 पर, 'की वैधता' शीर्षक के तहत

इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 68. 1996 के अधिनियम में "आंशिक पुरस्कार" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यह अंतरिम पुरस्कार या अंतिम पुरस्कार का उपयोग करता है। एक पुरस्कार परिभाषित किया गया है धारा 2 (सी) के तहत एक अंतरिम पुरस्कार शामिल करने के लिए। धारा 31 की उप-धारा (6) एक अंतरिम पुरस्कार पर विचार करती है। एक अंतरिम पुरस्कार

उक्त प्रावधान के संदर्भ में वह नहीं है जिसके संबंध में अंतिम पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन यह इसके अंतर्गत आने वाले मामलों पर अंतिम पुरस्कार हो सकता है, लेकिन एक अंतरिम चरण में दिया जाता है।

69. विद्वान मध्यस्थ ने उपरोक्त प्रक्रिया को विकसित किया

ताकि पार्टियों को पहली बार में कुछ विवादों के संबंध में खुद को संबोधित करने में सक्षम बनाया जा सके। जैसा कि विद्वान मध्यस्थ के आंशिक निर्णय से प्रतीत होता है, उन्होंने कुछ दावों को स्थगित कर दिया।

उन्होंने आगे अपनी आशा और विश्वास व्यक्त किया कि कुछ दावों के संबंध में, पक्ष इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के समझौते पर पहुंचेंगे कि ओ. एन. जी. सी. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल था। जबकि कुछ दावों के संबंध में, एक अंतिमता थी

पुरस्कार से जुड़े कुछ दावों को स्थगित कर दिया गया था ताकि विद्वान मध्यस्थ को बाद के चरण में इसका विज्ञापन करने में सक्षम बनाया जा सके। अगर

आंशिक पुरस्कार पुरस्कार की परिभाषा का उत्तर देता है, जैसे

1996 के अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत परिकल्पित, सभी इरादे और उद्देश्य के लिए, यह एक अंतिम पुरस्कार होगा। वास्तव में, बी. एस. सी. एल. द्वारा आपत्ति दर्ज करके उक्त पुरस्कार की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था।

इस संबंध में। 70. हम इस तथ्य को भी नहीं भूल सकते कि बी. एस. सी. एल. ने मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के संबंध में मध्यस्थ के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई। अधिनियम की धारा 34 के तहत इसके आवेदन में उस प्रभाव का आधार भी नहीं लिया गया है। हालाँकि, हम अन्यथा भी श्री मित्रा के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि

आंशिक पुरस्कार एक प्रारंभिक आदेश के समान है। दूसरी ओर, हमारी राय है कि मध्यस्थ को भेजे गए विवादों के संबंध में यह सभी मामलों में अंतिम है जो इस तरह के निर्णय के विषय हैं। हम यह जोड़ सकते हैं कि कुछ मध्यस्थ इसके बजाय और "अंतरिम पुरस्कार" अभिव्यक्ति का उपयोग करने के स्थान पर "आंशिक पुरस्कार" अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। इसके कारण प्रकृति और चरित्र पुरस्कार नहीं बदला जाता है। उदाहरण के लिए, हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के मध्यस्थता नियमों के तहत आयोजित मध्यस्थता कार्यवाही में, अभिव्यक्ति "आंशिक"

पुरस्कार "का उपयोग आम तौर पर मध्यस्थों द्वारा अंतरिम पुरस्कार के स्थान पर किया जाता है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, बी. एस. सी. एल. किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है। हम कह सकते हैं कि आंशिक पुरस्कार और

अंतिम पुरस्कार धारा 34 के तहत चुनौती का विषय है।

अधिनियम "।

उक्त निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि एक अंतरिम पुरस्कार या आंशिक एक मध्यवर्ती में किए गए मामलों पर अंतिम पुरस्कार है।

मध्यस्थता कार्यवाही।

16. वैधानिक प्रावधानों और मामले में कानून द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों के आलोक में परीक्षण किए जाने पर, यह स्पष्ट है कि जैसा कि विद्वान मध्यस्थ ने पक्षकारों के बीच एक निर्णय लिया है, यानी अंततः सीमा का

मुद्दा, 23 जुलाई, 2015 का निर्णय अधिनियम की धारा के अर्थ के भीतर एक "अंतरिम निर्णय" है और इसे "मध्यस्थ एम/एस" अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है।

भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड। वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

17. हालाँकि, श्री सिन्हा ने हमारे सामने तर्क दिया है कि 23 जुलाई, 2015 का निर्णय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर एक निर्णय होने के नाते अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत आएगा, और चूंकि सीमा के बिंदु पर लिए गए निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए धारा 16 की कवायद का पालन किया जाना चाहिए, जिस मामले में अन्य सभी मुद्दों को पहले तय किया जाना है, और ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के बाद ही इस तरह के निर्णय को अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है। अधिनियम की धारा 16 में यह निर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता कानून में कोम्पेटेंज़-कोम्पेटेंज़ सिद्धांत क्या कहा गया है। कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता पर निर्णय दे सकता है। एक समय में, कानून यह था कि मध्यस्थ, अनुबंध का एक प्राणी होने के नाते, अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड के अस्तित्व या वैधता पर निर्णय नहीं ले सकता था। हालाँकि, इसने कोम्पेटेंज़ सिद्धांत को रास्ता दिया जिसे UNCITRAL मॉडल लॉ द्वारा अपनाया गया था। अनुच्छेद 16

UNCITRAL मॉडल कानून, जिस पर अधिनियम की धारा 16 आधारित है, निम्नानुसार हैः

" अनुच्छेद 16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र

(1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें इसके अस्तित्व या वैधता के संबंध में कोई भी आपत्ति शामिल है।

मध्यस्थता समझौता। उस उद्देश्य के लिए, एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाएगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, लागू नहीं होगा।

माध्यस्थम खंड की अयोग्यता को न्यायिक रूप से स्वीकार करें।

(2) एक याचिका कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव के बयान को प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा। एक पक्ष को इस तथ्य से ऐसी याचिका दायर करने से नहीं रोका जाता है कि उसने एक मध्यस्थ की नियुक्ति की है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है। एक याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे को पार कर रहा है, जैसे ही मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कथित रूप से अपने अधिकार के दायरे से बाहर का मामला उठाया जाता है, उठाया जाएगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण, किसी भी मामले में, स्वीकार कर सकता है

बाद में याचिका दायर करें यदि वह देरी को उचित समझता है। (3) माध्यस्थम न्यायाधिकरण पैराग्राफ में निर्दिष्ट याचिका पर फैसला दे सकता है।

(2) इस लेख का या तो प्रारंभिक प्रश्न के रूप में या एक पुरस्कार [2018] 1 एस. सी. आर. में।

गुणों पर। यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक प्रारंभिक प्रश्न के रूप में निर्णय देता है कि उसकी अधिकारिता है, तो कोई भी पक्ष उस निर्णय की सूचना प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर, अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि वह मामले पर निर्णय करे कि कौन सा निर्णय किसी अपील के अधीन नहीं होगा; जबकि ऐसा अनुरोध लंबित है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही जारी रख सकता है और एक पुरस्कार दे सकता है।

18. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शब्दों में UNCITRAL मॉडल कानून को संदर्भित करता हैः

" 3. यद्यपि उक्त UNCITRAL मॉडल कानून और नियम हैं

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह से निपटने के उद्देश्य से, वे, उचित संशोधनों के साथ, घरेलू मध्यस्थता और सुलह पर कानून के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। वर्तमान विधेयक घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उक्त UNCITRAL को ध्यान में रखते हुए सुलह से संबंधित कानून को परिभाषित करने का प्रयास करता है।

मॉडल कानून और नियम "।

19. यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 16 (1) से (4) UNCITRAL मॉडल कानून के अनुच्छेद 16 पर आधारित हैं। कोम्पेटेंज़ सिद्धांत सौदा करता है

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में आपत्तियों पर निर्णय के संकीर्ण अर्थ में मध्यस्थता न्यायाधिकरण की अधिकारिता के साथ। धारा 16 (1) की भाषा में जिस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है वह यह है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता पर निर्णय दे सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह इस बात को संदर्भित करता है कि क्या मध्यस्थता न्यायाधिकरण विवाद के पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच शुरू कर सकता है।

20. यहाँ फिर से, 1996 का अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम हमारे सामने समस्या पर कुछ प्रकाश डालता है। उक्त अधिनियम की धारा 30 और 31 निम्नानुसार हैः

" 30 न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर निर्णय लेने की क्षमता। - (1) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने स्वयं के मूल अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, अर्थात

(ख) क्या न्यायाधिकरण का उचित रूप से गठन किया गया है, और (ग) मध्यस्थता समझौते के अनुसार कौन से मामले मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए हैं।

भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड। वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(2) इस तरह के किसी भी फैसले को अपील या समीक्षा की किसी भी उपलब्ध मध्यस्थता प्रक्रिया या प्रावधानों के अनुसार चुनौती दी जा सकती है। इस भाग से।

31 न्यायाधिकरण की मूल अधिकारिता पर आपत्ति। - (1)

एक आपत्ति कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण में कार्यवाही की शुरुआत में पर्याप्त अधिकार क्षेत्र का अभाव है, एक पक्ष द्वारा उस समय के बाद उठाया जाना चाहिए जब वह कार्यवाही में पहला कदम उठाता है

किसी भी मामले के गुण-दोष को चुनौती दें जिसके संबंध में वह न्यायाधिकरण की अधिकारिता को चुनौती देता है।

एक पक्ष को इस तथ्य से ऐसी आपत्ति उठाने से नहीं रोका जाता है कि उसने मध्यस्थ की नियुक्ति में भाग लिया है या भाग लिया है।

(2) मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कोई भी आपत्ति कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने मूल अधिकार क्षेत्र से अधिक हो रहा है, मामले के कथित होने के बाद जल्द से जल्द की जानी चाहिए इसके अधिकार क्षेत्र से परे उठाया जाता है।

(3) मध्यस्थता न्यायाधिकरण उप-धारा (1) या (2) में निर्दिष्ट समय से बाद में आपत्ति स्वीकार कर सकता है यदि वह देरी पर विचार करता है।

न्यायसंगत है।

(4) जहाँ किसी आपत्ति को विधिवत रूप से न्यायाधिकरण की मूल याचिका पर ले जाया जाता है।

अधिकारिता, यह हो सकता है-(ए) एक पुरस्कार में मामले पर नियम के रूप में अधिकारिता, या (बी) गुण-दोष के आधार पर अपने अधिनिर्णय में आपत्ति से निपटना। यदि पक्षकार सहमत हैं कि इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम न्यायाधिकरण का है

न्यायाधिकरण उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा।

(5) न्यायाधिकरण किसी भी मामले में, और यदि पक्षकार इस पर सहमत होते हैं, तो धारा 32 (अधिकारिता के प्रारंभिक बिंदु का निर्धारण) के तहत अदालत में आवेदन किए जाने तक कार्यवाही पर रोक लगा सकता है।

ये खंड यह स्पष्ट करते हैं कि कोम्पेटेंज़ सिद्धांत, जो

1996 के अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम के बाद, यह है कि

धारा 16 में उल्लिखित शब्दकोष में तीन बातों का उल्लेख हैः (1) क्या एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है; (2)माध्यस्थम न्यायाधिकरण का उचित रूप से गठन किया गया है; और (3) मामले

मध्यस्थता मध्यस्थता के अनुसार होनी चाहिए।

कुछ नहीं।

21. यह "अधिकार क्षेत्र" कई रंगों का एक कोट है, और यह कि उक्त रंग उस संदर्भ के आधार पर एक निश्चित रंग का चित्रण करता है जिसमें यह निहित है, अच्छी तरह से स्थापित है। शास्त्रीय अर्थ में, आधिकारिक न्यासी v. नरेंद्र नाथ चटर्जी, (1969) 3 एस. सी. आर. 92 99 पर, "अधिकार क्षेत्र" होना है:

" मामले में पूर्ण पीठ को संदर्भित करने के आदेश में

सुखलाल बनाम। तारा चंद [(1905) आई. एल. आर. 33 कैल 68] में कहा गया था कि अधिकार क्षेत्र को सुनवाई करने की अदालत की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

और एक कारण निर्धारित करने के लिए, किसी भी निर्णय लेने और प्रयोग करने के लिए

इसके संबंध में न्यायिक शक्तिः दूसरे शब्दों में, क्षेत्राधिकार का अर्थ है वह प्राधिकरण जिसे न्यायालय को उन मामलों का निर्णय करना होता है जो उसके समक्ष मुकदमेबाजी में हैं या अपने निर्णय के लिए औपचारिक तरीके से प्रस्तुत मामलों का संज्ञान लेना होता है। की जाँच

पुस्तकों में मामले 'अधिकार क्षेत्र' शब्द को परिभाषित करने के कई प्रयासों का खुलासा करते हैं, जिसे कानून और तथ्य के मुद्दों को सुनने और निर्धारित करने की शक्ति कहा गया है।

जिनका न्यायिक अधिकारी संज्ञान लेता है और 'कारणों का निर्णय करता है'; 'कानूनी विवाद को सुनने और तय करने का अधिकार', 'विषय को सुनने और निर्धारित करने की शक्ति-किसी मुकदमे के पक्षों के बीच विवाद में मामला और उन पर कोई न्यायिक शक्ति का निर्णय या प्रयोग करने की शक्ति;' न्यायालय के समक्ष मुद्दों पर निर्णय सुनने, निर्धारित करने और निर्णय देने की शक्ति ';' पक्षकारों के बीच कारणों को सुनने और निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए विधायिका द्वारा न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति या अधिकार '

प्रभाव में ';' तथ्यों की जांच करने, कानून लागू करने, निर्णय सुनाने और इसे निष्पादित करने की शक्ति '।

(मुखर्जी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता की पूर्ण पीठ के लिए बोल रहे हैं

हिरदे नाथ राय बनाम में उच्च न्यायालय। रामचंद्र बर्णा

सरमा आईएलआर 68 कैल 138)

22. इट्टाविरा मथाई बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। y वर्की, (1964) 1 एस. सी. आर. 495 ने 501-503 पर, सीमा को कानून की त्रुटि होने पर एक गलत निर्णय दिया जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, और एक निर्णय जहां न्यायालयनिम्नलिखित शर्तों में अधिकार क्षेत्र के बिनाः

" पैकेडी द्वारा अपीलार्थी के लिए उठाया गया पहला बिंदु यह है कि 1093 के ओएस नंबर 59 में अनंत अय्यर और उनके भाई द्वारा निष्पादित काल्पनिक बंधन पर मुकदमे में प्राप्त डिक्री रामलिंगा अय्यर के पक्ष में इत्तियावीर एक शून्य था क्योंकि भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड।

वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सूट समय से प्रतिबंधित था। यह मानते हुए कि मुकदमा समय द्वारा वर्जित था, विद्वान वकील के तर्क की सराहना करना मुश्किल है

कि डिक्री को अमान्य माना जा सकता है और इसमें नजरअंदाज किया जा सकता है

बाद का मुकदमा। यदि मुकदमे को समय से रोक दिया गया था और फिर भी, अदालत ने इसे फैसला सुनाया, तो अदालत एक अवैधता कर रही होगी और

इसलिए पीड़ित पक्ष को इसके खिलाफ अपील को प्राथमिकता देकर डिक्री को दरकिनार करने का अधिकार होगा। लेकिन यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि मुकदमे के विषय और उससे संबंधित पक्षों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत, हालांकि सही निर्णय लेने के लिए बाध्य है, गलत निर्णय ले सकती है; और यह कि भले ही उसने गलत निर्णय लिया हो, वह ऐसा कुछ नहीं कर रही होगी जो करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। विषय-वस्तु पर इसका अधिकार क्षेत्र था और पक्षकार पर इसका अधिकार क्षेत्र था और इसलिए, केवल इसलिए कि उसने मुकदमे में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने में त्रुटि की है, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, अदालतों के पास सही निर्णय लेने या गलत निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होता है और भले ही वे गलत निर्णय लेते हैं, उनके द्वारा दिए गए फरमानों को लागू नहीं किया जा सकता है।

शून्य के रूप में माना जाता है। हालाँकि, विद्वान वकील ने हमें मकबूल अहमद बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के लिए संदर्भित किया। ओंकार प्रताप नारायण सिंह [ए. आई. आर. (1935) पी. सी. 85] ने तर्क दिया कि तब से

कर्तव्य, यह अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करता है। यदि वह अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है, तो वह केवल कानून की त्रुटि करता है और कानून की त्रुटि को केवल सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित तरीके से ही ठीक किया जा सकता है। यदि पीड़ित पक्ष उस त्रुटि को ठीक करने के लिए उचित कदम नहीं उठाता है, तो गलत फरमान अच्छा रहेगा और नहीं होगा। शून्य होने के आधार पर चुनौती देने के लिए तैयार रहें।

23. यह शब्द के इस अर्थ में है कि अधिनियम के 16 में "अधिकार क्षेत्र" का उपयोग किया गया है। वास्तव में, एन. टी. पी. सी. (ऊपर) में 460-461 पर, एक प्रभाग

इस न्यायालय की धारा 16 और 37 को स्थापित करने के बाद अभिनिर्धारित किया गयाः

" 10. अब, वर्तमान मामले में एकमात्र सवाल जो तय किया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या आंशिक अधिनिर्णय के आदेश के खिलाफ [2018] 1 एस. सी. आर. है।

अपील सीधे अधिनियम की धारा 37 के तहत बनाए रखने योग्य है या नहीं। हमने विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है

अपीलार्थी और प्रतिवाद से गुजरने के बाद और आंशिक रूप से, हमारी राय है कि मामले में अधिकार क्षेत्र का कोई सवाल ही नहीं उठता है ताकि अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के तहत सीधी अपील दायर कर सके। के रूप में

पहले से ही ऊपर उल्लिखित, धारा 37 की उप-धारा (2) के तहत अपील केवल तभी होती है जब धाराओं के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है।

16 (2) और अधिनियम की (3)। धारा 16 (2) और (3) अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित हैं। अधिकारिता की याचिका द्वारा नहीं ली गई थी

अपीलार्थी। यह प्रत्यर्थी द्वारा उनके प्रतिवाद को पूरा करने के लिए लिया गया था। लेकिन यह इस तथ्य के संदर्भ में नहीं था कि

न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, यह इस संदर्भ में था कि

प्रतिदावा का सवाल अब तय करने के लिए खुला नहीं था

सरल कारण यह है कि सभी मुद्दे जो उठाए गए थे

1 से 10 तक के प्रतिदावे पहले से ही मिनटों में सुलझा लिए गए थे

अन्य मुद्दों को पहले और तीसरे अनुबंधों में हल किया जाना था। इसलिए, हम यह समझने में विफल हैं कि इस मामले में अधिकार क्षेत्र का सवाल कैसे शामिल था। वास्तव में यह संदर्भ में था कि

तथ्य यह है कि पूरे प्रतिवाद पहले ही संतुष्ट हो चुके हैं

और बैठक में यह तय किया गया कि यह निष्कर्ष निकाला गया कि आगे कोई मुद्दा सुलझाना बाकी नहीं है। इस संदर्भ में, अपीलार्थी द्वारा दायर प्रतिदावे का विरोध किया गया था। यदि कोई शिकायत थी, तो उसे प्रत्यर्थी द्वारा उठाया जाना चाहिए था, न कि अपीलार्थी द्वारा। यह केवल न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य का निष्कर्ष है

प्रतिदावा बनाम कार्यवृत्त पर विचार करने के बाद दिनांकित बैठक 6-4-2000/7-4-2000। इसलिए, वहाँ नहीं था

मामले में शामिल अधिकार क्षेत्र का प्रश्न ताकि सक्षम किया जा सके

अपीलार्थी को सीधे उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।

एक अलग सहमति वाले निर्णय में, पी. के. बालासुब्रमण्यन, 1:

" 17. व्यापक अर्थ में, किसी दावे के गुण-दोष में जाने से इनकार करना क्षेत्राधिकार के दायरे में हो सकता है। यहां तक कि बर्खास्तगी भी

न्यायालय या न्यायाधिकरण की अधिकारिता। जब कोई दावा खारिज कर दिया जाता है इसकी सीमा द्वारा वर्जित होने का आधार, यह एक अर्थ में, एक होगा

न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करने का मामला

दावे के गुण-दोष पर गौर करें।

पांडुरंग में धोनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड। वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

चौगुले वी। मारुति हरि जाधव [ए. आई. आर 1996 एस. सी. 153: (1996) 1 एस. सी. आर. 102] इस न्यायालय ने कहा किः (एयर पी। 155, पैरा 10)

" यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि सीमा की याचिका या न्यायपालिका की याचिका कानून की एक याचिका है जो अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। जो कार्यवाही की कोशिश करता है। इन दलीलों को उठाने वाले पक्ष के पक्ष में एक निष्कर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देगा, और इसलिए, इन याचिकाओं पर एक गलत निर्णय को अधिकार क्षेत्र के प्रश्नों से संबंधित कहा जा सकता है जो इसके अंतर्गत आते हैं।

संहिता की धारा 115 की परिधि "।

एक विशेष अर्थ में, इसलिए, गुणों में जाने के लिए कोई भी इनकार

किसी दावे को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने का मामला कहा जा सकता है।

18. अभिव्यक्ति "अधिकार क्षेत्र" कई रंगों का एक शब्द है। इसका रंग उस परिवेश से जाना जाता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। जब हम अधिनियम की धारा 16 को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उक्त प्रावधान एक है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अपनी अधिकारिता पर शासन करने की क्षमता से संबंधित है। एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल एंग। लिमिटेड [(2005) 8 एस. सी. सी. 618] ने एक अर्थ में धारा 16 के संचालन को उन मामलों तक सीमित कर दिया जहां अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ के बिना अनुबंध के पक्षों के कहने पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। एक ऐसे मामले में जहां पक्षों ने इस प्रकार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया था

अधिनियम की धारा 11 (6) का सहारा लेते हुए, उन्हें अभी भी मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय आमंत्रित करने के अधिकार सहित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने का अधिकार है। अतः यह निर्णय दिया जा सकता है कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं था, कि मध्यस्थता समझौता वैध नहीं था, या कि मध्यस्थता समझौता न्यायाधिकरण को इस पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता था - विशेष दावा जो उसके सामने रखा जाता है। उप-धारा (5) के तहत, याचिका पर निर्णय लेने का दायित्व है और जहां वह याचिका को अस्वीकार करता है, वह मध्यस्थता कार्यवाही जारी रख सकता है और निर्णय दे सकता है। उप-धारा (6) के तहत, एक पक्ष इस तरह के एक से पीड़ित है

माध्यस्थम् अधिनिर्णय धारा 34 के अनुसार ऐसे माध्यस्थम् अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरे शब्दों में, पुरस्कार को चुनौती देने में, पीड़ित पक्ष यह तर्क दे सकता है कि न्यायाधिकरण के पास इसे पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है या यह कि यह

इसे पारित करने में अपने अधिकार को पार कर गया था। यह तब होता है जब [2018] 1 एस. सी. आर.

न्यायाधिकरण एक पुरस्कार पारित करने के लिए आगे बढ़ता है। यह धारा 16 की विभिन्न उप-धाराओं के संदर्भ में है कि किसी को "अधिकार क्षेत्र" अभिव्यक्ति की सामग्री और अपील प्रावधान के दायरे को समझना होगा। एक ऐसे मामले में जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण संबंधित आपत्ति को खारिज करने के बाद एक पुरस्कार पारित करने के लिए आगे बढ़ता है

अधिकारिता, धारा 16 की उप-धारा (6) से यह स्पष्ट है कि

यदि संभव हो तो पक्षकारों को उस पुरस्कार से छुटकारा पाने के लिए अधिनियम की धारा 34 का सहारा लेना होगा। लेकिन, यदि न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर देता है या कोई निर्णय पारित करने से इनकार कर देता है और मध्यस्थता कार्यवाही को खारिज कर देता है, तो पीड़ित पक्ष के पास कोई उपाय नहीं है। धारा 37 (2) ऐसी स्थिति से संबंधित है। जहाँ अधिकारिता की अनुपस्थिति या अधिकारिता से अधिक होने का दावा स्वीकार किया जाता है मध्यस्थ न्यायाधिकरण और यह अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करके दावे के गुण-दोष में जाने से इनकार करता है, एक सीधी अपील प्रदान की जाती है। धारा 16 और अधिनियम की धारा 37 (2) (ए) के विशिष्ट शब्दों के संदर्भ में, यह मानना उचित होगा कि जो सीधे किया गया है

अधिनियम की धारा 37 (2) (ए) द्वारा अपील योग्य केवल अधिकारिता के अभाव, या अधिकारिता के अत्यधिक प्रयोग और पूरी तरह से या आंशिक रूप से आगे बढ़ने से इनकार करने की याचिका की स्वीकृति है। 19. एक ऐसे मामले में जहां एक प्रतिदावे को संदर्भित किया जाता है और निपटाया जाता है और एक याचिका कि पक्षकारों के बीच पहले हुए विवादों के निपटारे को देखते हुए प्रतिदावे को स्वीकार नहीं किया जाता है, इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने का मामला नहीं माना जा सकता है। यही स्थिति तब होती है जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण यह पाता है कि एक दावा मृत था और प्रासंगिक समय पर किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं था या दावा अन्य वैध कारणों से बनाए रखने योग्य नहीं था या दावा सीमा द्वारा वर्जित था। वे सभी दावे के गुण-दोष के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा किए गए निर्णय हैं और ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष केवल अधिनियम की धारा 34 का सहारा ले सकता है और उसे उस प्रावधान के तहत उपलब्ध किसी भी आधार को स्थापित करने में सफल होना होगा। उस पक्ष के लिए यह स्थिति लेने के लिए खुला नहीं होगा कि उसके दावे के गुण-दोष में जाने से इनकार करके, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक याचिका को बरकरार रखा था कि उसके पास दावे को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए उसके द्वारा दिया गया निर्णय या आदेश अधिनियम की धारा 16 (2) के दायरे में आता है और

परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 37 (2) (ए) के तहत अपील योग्य है।

एम/एस। भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड। वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

24. यह निर्णय हाथ में मुद्दे का निर्धारक है और है

हमारी सम्मानजनक सहमति। हालांकि, विभिन्न निर्णयों को संदर्भित किया गया था

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा, व्यापक अर्थों में किस "अधिकार क्षेत्र" का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, एक क्षेत्राधिकार

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत त्रुटि

पुनरीक्षण याचिकाओं के साथ, उन प्रश्नों को शामिल करने के लिए आयोजित किया गया था जो पुनरीक्षण से संबंधित हैं

न्याय और सीमा। [पांडुरंग धोनी चौगुले बनाम देखें। मारुति

हरि जाधव (1966) 1 एससीआर 102 107 पर)]।

25. इस निर्णय का स्पष्ट रूप से संदर्भ दिया गया था -

एनिस्मिनिक वी। विदेशी क्षतिपूर्ति आयोग, (1969) 2 अधिनियम 147,

इंग्लैंड में वितरित किया गया, जिसने वस्तुतः प्रशासनिक कानून क्षेत्र में सभी "कानून की त्रुटियों" "अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों" को बनाया और एम. एल. में समझाया।

सेठी वी. आर. पी. कपूर, (1972) 2 एस. सी. सी. 427 435 पर निम्नानुसारः

" ..... उपरोक्त मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बहुमत के आदेश से पता चलता है कि किस हद तक अधिकार क्षेत्र की "कमी" और "अधिकता" को आत्मसात किया गया है या दूसरे शब्दों में, हम किस हद तक "अधिकार क्षेत्र" की पारंपरिक अवधारणा से दूर चले गए हैं। उस मामले में डिक्टा का प्रभाव अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिकार क्षेत्र की त्रुटि और कानून की त्रुटि के बीच के अंतर को लगभग गायब होने तक कम करना है। निर्णय का व्यावहारिक प्रभाव यह है कि कानून की किसी भी त्रुटि को अधिकार क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है। यह खतरनाक रूप से यह कहने के करीब आता है कि यदि निर्णय कानून में सही है तो अधिकार क्षेत्र है लेकिन यदि यह गलत है तो कोई नहीं। किसी कानून के लगभग किसी भी गलत निर्माण को "एक ऐसे मामले पर अपने निर्णय के आधार पर दर्शाया जा सकता है जिसके साथ उन्हें निपटने का कोई अधिकार नहीं है", "एक अनुचित शर्त लागू करना" या "खुद को गलत प्रश्न के लिए संबोधित करना" के रूप में दर्शाया जा सकता है। मामले में बहुमत की राय एक छोड़ देती है

न्यायालय या न्यायाधिकरण जिसमें वस्तुतः कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। क्या अधिकार क्षेत्र की अधिकता है या अधिकार क्षेत्र के भीतर केवल त्रुटि है, यह केवल अधिकार देने वाले क़ानून का अर्थ लगाकर निर्धारित किया जा सकता है, जो थोड़ा मार्गदर्शन देगा। यह वास्तव में एक सवाल है कि अदालत कितने अक्षांश की अनुमति देने के लिए तैयार है। अंत में यह केवल एक मूल्य निर्णय हो सकता है (देखें एच. एन. आर. वेड, "संवैधानिक और

एनिस्मिनिक मामले के प्रशासनिक पहलू "। विधि त्रैमासिक समीक्षा, खण्ड। 85,1969 , पी। 198) . यह गलत निर्णय क्यों है?

सीमा या रेज़ जुडिकाटा के प्रश्न को एक के रूप में माना जाता था

न्यायक्षेत्र संबंधी त्रुटि और संशोधन में हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी? यह.

यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि [2018] 1 एस. सी. आर. पर कितना गलत निर्णय है।

सीमा या न्यायिक अधिकार का प्रश्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को शब्द के आदिम अर्थों में हटा देगा और निर्णय को मूर्त रूप देने वाले निर्णय या डिक्री को संपार्श्विक हमले के लिए उत्तरदायी शून्य बना देगा। इसका कारण केवल यह हो सकता है कि अदालत द्वारा कानून की त्रुटि को महत्वपूर्ण माना गया था। और त्रुटि के परिमाण को निर्धारित करने के लिए राय के अलावा कोई पैमाना नहीं है

अदालत "।

26. इसी तरह, हरि प्रसाद मुलशंकर त्रिवेदी बनाम। वी. बी. राजू 3 एस. सी. सी. 415 423-424 पर, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने फिर से एनिस्मिनिक (उपरोक्त) में पाई गई कानून की त्रुटियों और सीशन की त्रुटियों के बीच की रेखाओं को निम्नानुसार धुंधला करने का आदेश दियाः

" यद्यपि अधिकारिता या शक्ति की कमी और इसके गलत प्रयोग के बीच विभाजन रेखा अनिस्मिनिक मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय के साथ पतली हो गई है, [(1967) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 382] हमें नहीं लगता कि दोनों के बीच का अंतर पूरी तरह से मिटा दिया गया है। हम यह बताने के लिए एक संपूर्ण नियम तैयार करने में कठिनाई से अवगत हैं कि कब शक्ति की कमी है और कब इसका गलत प्रयोग किया जाता है। कठिनाई इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि "अधिकार क्षेत्र" शब्द एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है और इसका रंग इसके संदर्भ से लिया जाता है, (प्रति डिप्लॉक, जे., पी. पर देखें। 394 एनिस्मिनिक मामले में)। जबकि अधिकार क्षेत्र का "शुद्ध" सिद्धांत अधिकार क्षेत्र के नियंत्रण को एक लुप्त बिंदु तक कम कर देगा, एक संकीर्ण अर्थ को अपनाने के परिणामस्वरूप एक अधिक उपयोगी कानूनी अवधारणा हो सकती है, भले ही कानून की औपचारिक संरचना अपनी तार्किक समरूपता को कुछ खो सकती है। " न्यायिक समीक्षा के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र की अवधारणा को परिभाषित करने की समस्या सार्वजनिक नीति की रही है।

एक से अधिक तर्क "। [एस. ए. स्मिथः " न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक कार्रवाई ", दूसरा संस्करण। , पी। 98] और 1950 और 1951 के अधिनियमों के प्रावधानों में परिलक्षित सार्वजनिक नीति के पहलू को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करने के उद्देश्य से सामान्य निवास के प्रश्न पर गलत निर्णय को अधिकार क्षेत्र की त्रुटि के रूप में माना जाना चाहिए, जिसकी न्यायिक रूप से दीवानी अदालत में या उससे पहले समीक्षा की जा सकती है।

एक चुनाव न्यायाधिकरण "।

27. आई. टी. डब्ल्यू. सिग्नोड इंडिया लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. (2004) 3 एस. सी. सी. 48 पर 74, श्री सिन्हा द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया, इस न्यायालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 11 ए के तहत शुल्क की वसूली के संदर्भ में निर्णय दिया।

944 इस प्रकार हैः

एम/एस। भारतीय किसान फर्टिलिज़र कंपनी-ऑपरेटिव लिमिटेड। वी. मेसर्स भद्रा प्रोडक्ट्स [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 69. सीमा के प्रश्न में अधिकार क्षेत्र का प्रश्न शामिल है। अधिकारिता के प्रश्न पर तथ्य का निष्कर्ष एक क्षेत्राधिकार तथ्य होगा। इस तरह के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्धारण उसमें शामिल तथ्य और कानून दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। ट्रिब्यूनल ने, हमारी राय में, उक्त प्रश्न का निर्धारण नहीं करने में एक स्पष्ट त्रुटि की, विशेष रूप से, जब इस तथ्य के अभाव में कि अपीलार्थी की ओर से धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत कथन या तथ्यों को दबाने के माध्यम से किसी भी सकारात्मक कार्य से संबंधित उत्पाद शुल्क का इतना छोटा उद्ग्रहण, सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जा सकता था और इस मामले के दृष्टिकोण से नियम 10 के संदर्भ में कोई कारणदर्शक नोटिस नहीं दिया जा सकता था।

जारी किए गए हैं। "

28. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए के संदर्भ को देखते हुए, स्पष्ट रूप से "अधिकार क्षेत्र" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल विवाद के गुण-दोषों को शुरू करने में सक्षम होने से कुछ अधिक होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जैसा कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा जोड़ा गया है) की धारा 9ए के तहत हाल के एक फैसले में, यह न्यायालय फोरशोर कॉप में है। हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम। प्रवीण डी. देसाई (2015) 6 एस. सी. सी. 412 ने धारा 9ए में आने वाली "अधिकारिता" अभिव्यक्ति का उल्लेख किया और इस न्यायालय के एक पूर्व निर्णय को इनक्यूरियम के अनुसार माना। हालांकि संविधान

इटाविरा (ऊपर) में पीठ के फैसले का उल्लेख पीठ ने पक्षकारों के वकीलों में से एक के तर्क का उल्लेख करते हुए किया था, समापन भाग में, इस फैसले का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसी भी मामले में, उस मामले में न्यायालय का तर्क धारा 9ए के संदर्भ में था, जिसने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XIV के विपरीत, न्यायालय को पांडुरंग (ऊपर) में निर्धारित "अधिकार क्षेत्र" की व्यापक अवधारणा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।

29. इसलिए हमारे विचार से यह स्पष्ट है कि यह पुरस्कार 23 तारीख को दिया गया था।

हमारा विचार है कि ऐसा पुरस्कार, जो धारा 16 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं है, आवश्यक नहीं है अधिनियम की धारा 16 (5) और (6) का पालन करें। यह कहने के बाद, हमारा विचार है कि संसद संविधान की धारा 34 में संशोधन करने पर विचार कर सकती है।

अधिनियम ताकि सभी अंतरिम पुरस्कारों को अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार के साथ समेकित किया जा सके, ताकि अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार के वितरण के बाद धारा 34 के तहत एक चुनौती दी जा सके। टुकड़ों-टुकड़ों में दिए जाने वाले पुरस्कार जैसी टुकड़ों-टुकड़ों में मिलने वाली चुनौतियों के कारण अनावश्यक देरी होती है और अतिरिक्त खर्च होता है।

30. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है और विवादित निर्णय दिया जाता है

ए.

अलग रखा जाता है। जिला न्यायाधीश, जगतसिंहपुर के समक्ष धारा 34 की कार्यवाही पर अब निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि, कोई आदेश नहीं होगा।

लागतों के बारे में।

अंकित ज्ञान